वाद सं0 8।

कैलाशो देवी प्रशिक्षण महाविद्यालय गोंदाही   बनाम   गाँव सभा

वाद अ0धारा- 143 ज0वि0अधिनियम बाबत भूमि ग्राम असोगी परगना रामपुर, तहसील कुण्डा, जिला प्रतापगढ़।

निर्णय

प्रस्तुत वादी वादी द्वारा दिये गये संशोधन प्रार्थना पत्र दि0 1-5-10 पर इस आशय से प्रारंभ हुआ तथा वादी ने यह याचना किया है कि पूर्व पारित आदेश दि0 25-1-10 में गाटा सं0 304/0.954 का ही पारित किया गया है जब कि गाटा सं0 305मि/0.063 को अपने आदेश में अंकित करने से लिपकीय भूल छोड़ दिया गया है, जिसे दुरूस्त /संशोधन किया जाना आवश्यक है।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो एवं संलग्न जांच आख्याओ के अवलोकन एवं परिशीलन से स्पष्ट होता हैकि पूर्व पारित आदेश दि0 25-1-10 में संशोधन कियाजाना न्यायोचित प्रतीत होताहै। संशोधन किये जाने में कोईविधिक अड़चन प्रतीत नही होती है।

आदेश

अतः पूर्व पारित आदेश दि0 25-1-10 में संशोधनकरते हुए पुनः आदेश दिया जाता हैकि ग्राम असोगी पर0रामपुर, तह0कुण्डा, प्रतापगढ़ कीभूमि संख्या 304/0.954 व 305मि/0.063 जिसका संबंध कृषि, बागवानी, या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन और कुक्कुट पालन भी है, से न हो, ऐसी स्थिति में प्राख्यापन किया जा सकता है। तहसीलदार कीआख्या दि0 25-1-10 से स्पष्ट है कि खातेदारों के संपूर्ण अंश को जो नियम 135 की रिपोर्ट में अंकित है, अकृषिक/ औद्योगिक / घोषित करने योग्य है, उसे अकृषिक/औद्योगिक क्षेत्र घोषित कियाजाता है। आदेश की एक प्रति उप निबंधक कुण्डा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय तदनुसार वाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दि0 3|4|10

उप जिलाधिकारी,
कुण्डा-प्रतापगढ़।

CHAIRMAN
... VAISHNO DEVI PHARMACY COLLEGE
... BABAGANJ KUNDA PRATAPGARH

CHAIRMAN
JAI MAA VAISHNO DEVI PHARMACY
GONDAHI BABAGANJ KUNDA PRA...

सत्य-प्रतिलिपि

नकल नम्बर ... 1449
नकल मांगने का ता...